बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

पत्रांक : 11/भवन 08–02/2020......350 पटना, दिनांक......10/02/2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
बिहार, पटना।

द्वारा : आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय : **श्री गणेश उच्च माध्यमिक विद्यालय, बख्तियारपुर**, जिला–पटना में **+2 स्तरीय विद्यालय भवन (G+4) के निर्माण कराने हेतु स्वीकृत कुल ₹29,83,02,000/–(उन्तीस करोड़ तिरासी लाख दो हजार रूपये) मात्र के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025–26 में अवशेष राशि ₹9,75,00,000/–(नौ करोड़ पचहत्तर लाख रूपये) मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश : स्वीकृत।

श्री गणेश उच्च माध्यमिक विद्यालय, बख्तियारपुर, जिला–पटना में +2 स्तरीय विद्यालय भवन (G+4) के निर्माण कराने हेतु स्वीकृत कुल ₹29,83,02,000/– (उन्तीस करोड़ तिरासी लाख दो हजार रूपये) मात्र के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025–26 में अवशेष राशि ₹9,75,00,000/–(नौ करोड़ पचहत्तर लाख रूपये) मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत श्री गणेश उच्च माध्यमिक विद्यालय, बख्तियारपुर, **जिला–पटना** में +2 स्तरीय विद्यालय भवन (G+4) के निर्माण साथ नये विद्यालय भवन का निर्माण कराने हेतु मुख्य अभियंता, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के द्वारा पत्रांक–7412 दिनांक–26.08.2025 से तकनीकी अनुमोदन प्रदान कर कुल ₹9,75,00,000/– (नौ करोड़ पचहत्तर लाख रूपये) मात्र का प्राक्कलन उपलब्ध कराते हुए उक्त पर राशि की विमुक्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

3. स्वीकृत राशि का विकलन मांग संख्या–21, मुख्यशीर्ष–4202–शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–01–सामान्य शिक्षा, लघुशीर्ष–202–माध्यमिक शिक्षा, उपशीर्ष–0103 राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण, विपत्र कोड 21–4202012020103 विषय शीर्ष 0103.53.01–मुख्य निर्माण कार्य के अंतर्गत होगा। वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त विपत्र कोड के अंतर्गत 2,84,00,00,000/–(दो अरब चौरासी करोड़) रूपये मात्र का उदव्यय/उपबंध प्राप्त है जबकि योजना हेतु 8,04,00,00,000/–(आठ अरब चार करोड़) रूपये मात्र का उदव्यय/उपबंध प्राप्त है।

4. विमुक्त की जाने वाली राशि की निकासी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा के द्वारा BTC-46 पर विपत्र तैयार कराकर कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना के माध्यम से बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के पी०एल० खाता संख्या–PBBPLA005 के अंतर्गत Ledger ID-3851, Ledger Name- State P&L for Different School में राशि का अन्तरण, अन्तरण जमा के द्वारा किया जाएगा। यह कार्य CFMS के माध्यम से स्थापित प्रक्रियानुसार किया जाएगा।

5. व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र शिक्षा विभाग के माध्यम से महालेखाकार, पटना को विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना की होगी।

6. राशि का विचलन किसी अन्य मद में नहीं किया जाएगा। राशि की निकासी एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत निदेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना के निर्माण का दोहरीकरण एवं राशि का अपव्यय किसी भी स्थिति में न हो।

7. राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम का निरंतर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, पटना या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी एवं जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

8. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888, दिनांक–03.12.2024 की कंडिका–03 एवं कंडिका 05 की उप कंडिका (ख) (ii) के आलोक में राशि की विमुक्ति की जा रही है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक–7355, दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के आदेश संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं इस संबंध में समय–समय पर निर्गत संकल्प/परिपत्रों आदि में निहित निदेशों का अनुपालन करते हुए की जाएगी।

10. स्वीकृत्यादेश/विमुक्तयादेश प्रारूप एवं प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, शिक्षा विभाग की सहमति संचिका संख्या–11/भवन 08–02/2020 के नोट–119/टि0 पर प्राप्त है।

11. स्वीकृत्यादेश/विमुक्तयादेश प्रारूप एवं प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग का अनुमोदन संचिका संख्या–11/भवन 08–02/2020 के टिप्पणी पृ० सं०–67/प0 पर प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(अजय सतीश भेंगरा)

उप सचिव

ज्ञापाक: 11/भवन 08–02/2020.............. पटना, दिनांक ....

<u>प्रतिलिपि</u> : प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, पटना /राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/जिला पदाधिकारी, पटना/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना/वित्त विभाग (योजना एवं बजट शाखा), पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/संबंधित उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना/बजट शाखा एवं लेखा शाखा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना तथा आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

उप सचिव

ज्ञापाक: 11/भवन 08–02/2020....350 पटना, दिनांक 10/02/2026

<u>प्रतिलिपि</u> : प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव

D:\Swikrityadesh 2025-26